



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 415 राँची, मंगलवार,

2 सितम्बर, 2023 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
(निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना)

संकल्प

6 नवम्बर, 2023

संख्या-एसीस-03/नि०-157/2017-1433--

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली के परिपत्र सं० X-ii/14/5/2017-P&D दिनांक 19.02.2018 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का गठन एवं सोसाईटी के सफल संचालन हेतु शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने के संबंध में ।

2. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना व्याप्त है। राज्य 09 (नौ) जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो रहा है तथा शेष 15 (पन्द्रह) जिलों के नगर पालिका क्षेत्र (Municipal Area) में योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। वर्तमान में राज्य के 09 (नौ) जिलों में 21 (इक्कीस) चिकित्सालय संचालित हैं जिसके माध्यम से बीमाकृत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा प्रदान की जाती है तथा शेष 15 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) द्वारा बीमाकृत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा IMP/DCPO के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है ।

3. वर्तमान में झारखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन हेतु कर्मचारीराज्य बीमा निगम द्वारा कुल व्यय का 7/8 भाग तथा राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय का 1/8 भाग का वहन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) के परिपत्र सं० X-ii/14/5/2017-P&D दिनांक 19.02.2018 के द्वारा प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का गठन करने के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा योजनाके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय का 1/8 भाग जो वर्तमान में व्यय का वहन किया जाता है उस राशि का व्यय वहन भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारतसरकार, नई दिल्ली) द्वारा ही की जायेगी, जिससे राज्य सरकार पर कर्मचारी राज्य बीमा योजनाके अधीन व्यय भार शून्य हो जायेगा, फलस्वरूप निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) के प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी गठन का प्रस्ताव गठित की गयी है जिस परमंत्रिपरिषद् सहमति प्राप्त है ।

4. प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन, क्रियान्वयन, एवं अनुश्रवण हेतुशासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Excutive Committee) का गठन निम्नरूपेणकिया गया है:-

(क) शासी निकाय का गठन / स्वरूप निम्नरूपेण है :-

क्र०	पदनाम	पद
1	मुख्य सचिव, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवर कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
5	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड, राँची	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह-सदस्य सचिव
6	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
8	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
9	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
10	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	सदस्य
11	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	सदस्य
12	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	सदस्य
13	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखण्ड	सदस्य
14	राज्य चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	सदस्य

नोट:- शासी निकाय के सदस्य अपने पद पर तबतक बने रहेंगे जबतक कि सोसाईटी के नियमोंऔर विनियमों के अनुसार एक नई शासी निकाय नियुक्त नहीं किया जाता है ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्लीके परिपत्र सं० X-II/14/5/2017-P&D दिनांक 19.02.2018 के आलोक में शासीनिकाय के कार्यकारी समिति का गठन /स्वरूप निम्नरूपेण है:-

क्र०	पदनाम	पद
1	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवर कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामितप्रतिनिधि (जो संयुक्तसचिव से अन्यून स्तर के नहीं हो)	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्तसचिव से अन्यून स्तर के नहीं हो)	सदस्य
4	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड, राँची	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह-सदस्य सचिव
5	निदेशक प्रमुख, निदेशालय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षाएवं परिवर कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
6	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
7	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	सदस्य
8	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखण्ड	सदस्य
9	राज्य चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखण्ड	सदस्य

5. झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन से संबंधित नियम एवं शर्त (Rules & Regulation) अनुलग्नक-क पर संलग्न है जिसपर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है ।

6. झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु Memorandum of Association (MoA) अनुलग्नक-ख पर संलग्न है जिसपर मंत्रिपरिषद् कीसहमति प्राप्त है ।

7. झारखण्ड राज्य कर्मचारी बीमा सोसाईटी के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् कीस्वीकृति श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमायोजना) के जापांक एसीस-03/नि०- 157/2017-1347 दिनांक 29.08.2023 के क्रम मेंदिनांक 05.10.2023 की बैठक के मद सं०-17 में दी गयी है ।

8. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य कर्मचारीबीमा सोसाईटी के गठन का पंजीकरण एक माह के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव ।
